भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3690

उत्तर देने की तारीख-16/03/2026

एनएसपी के माध्यम से संसाधित और संवितरित छात्रवृत्तियाँ

†3690. **श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः**

श्री तापिर गाव:

डॉ. मन्ना लाल रावतः

श्री दिलीप शइकीया:

श्री दिनेशभाई मकवाणा:

श्री योगेन्द्र चांदोलिया:

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री प्रदीप कुमार सिंहः

डॉ. हेमांग जोशी:

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:

श्री पी. सी. मोहन:

श्रीमती हिमाद्री सिंहः

श्री पी. पी. चौधरी:

श्री लुम्बाराम चौधरी:

श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:

श्री विष्णु दयाल राम:

डॉ. निशिकान्त दुबे:

श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:

श्री रमेश अवस्थी:

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री मनोज तिवारी:

श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:

श्रीमती संजना जाटव:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री अभिमन्यु सेठी:
श्री सतीश कुमार गौतमः
श्री अशोक कुमार रावतः
श्री जुगल किशोर:
श्री अनूप संजय धोत्रे:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:
श्री जनार्दन मिश्रा:
डॉ. भोला सिंह:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री शिवमंगल सिंह तोमर:
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
श्री महेश कश्यप:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से संसाधित और वितरित की गई छात्रवृत्तियों की कुल संख्या और राशि कितनी है और विशेषकर झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात राज्यों और कर्नाटक के बेंगलुरु सहित शहडोल, उत्तर-पूर्वी दिल्ली, भरतपुर, पाली, दाहोद और बस्तर संसदीय क्षेत्रों तथा पालघर, अकोला, वाशिम, पलनाडु और बुलंदशहर जिलों का योजना-वार/श्रेणी-वार/राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या तकनीकी बुनियादी ढांचे, बैंकिंग सुविधाओं और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण बस्तर संभाग के दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए विशेष उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ग) पात्र लाभार्थियों को समय पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करने और डिजिटल सत्यापन तंत्र के माध्यम से दोहराव या धोखाधड़ी वाले दावों को रोकने के लिए, विशेषकर कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में, सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) क्या एनएसपी के माध्यम से छात्रवृत्ति वितरण की पारदर्शिता और दक्षता में सुधार के लिए कोई तकनीकी उन्नयन, शिकायत निवारण तंत्र या सुविधा केंद्र शुरू किए गए हैं और यदि हां, तो विशेषकर कर्नाटक के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) एनएसपी पर उपलब्ध विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं तक पहुंच सुधारने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के बीच जागरूकता और पहुंच बढ़ाने के लिए विशेषकर

उत्तर-पूर्वी दिल्ली और भरतपुर संसदीय क्षेत्रों तथा बुलंदशहर, पलनाडु, जालौर, सिरोही और कर्नाटक के बेंगलुरु जैसे शहरी कम आय वाले क्षेत्रों में क्या कदम उठाए गए हैं,; और
(च) महाराष्ट्र के जनजातीय जिले पालघर में एनएसपी के माध्यम से छात्रवृत्ति बढ़ाने और प्राथमिकता देने की सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (च) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अधीन संचालित किया जाता है। एनएसपी छात्रवृत्ति आवेदन से लेकर प्राप्ति, प्रोसेसिंग, स्वीकृति और वितरण तक विभिन्न सेवाओं को सक्षम करने वाला एकल समाधान केंद्र है। एनएसपी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में पोस्ट मैट्रिक और उच्च शिक्षा छात्रवृत्तियों की कुल संख्या एवं राशि, योजना/श्रेणी/राज्य/जिला-वार, विशेष रूप से झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात राज्यों; कर्नाटक के बेंगलुरु; शहडोल, उत्तर-पूर्व दिल्ली, भरतपुर, पाली, डाहोड़ और बस्तर सांसदीय क्षेत्रों के जिलों तथा पालघर, अकोला, वाशिम, पलनाडु और बुलंदशहर जिलों में संसाधित एवं वितरित की गई छात्रवृत्तियों का विवरण https://www.education.gov.in/parl_ques पर देखा जा सकता है।

दूरदराज के क्षेत्रों में छात्रों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए, एनएसपी को सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) के साथ एकीकृत किया गया है, जो छात्रों को चेहरा प्रमाणीकरण करते हुए आवेदन पत्र जमा करने के विकल्प की सुविधा प्रदान करता है।

पात्र लाभार्थियों को समय पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) सुनिश्चित करने के लिए, छात्रवृत्ति राशि लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाती है और एनएसपी पंजीकरण के समय छात्रों द्वारा आधार को जोडने की स्थिति की जांच की जा सकती है। इसके अलावा, एनएसपी उन मामलों की पहचान करने के लिए डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया चलाता है जहां एक शैक्षणिक वर्ष में एक ही छात्र द्वारा एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं।

छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार के लिए, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) को केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के साथ एकीकृत किया गया है। आवेदक ओटीपी प्रमाणीकरण के माध्यम से अपने ओटीआर नंबर अथवा पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग करके एनएसपी पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और सिस्टम के माध्यम से स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। एनएसपी कॉल सेंटर और हेल्प

डेस्क के साथ प्रबंधन और समन्वय भी करता है जो पंजीकरण, आवेदन, सत्यापन और पोर्टल उपयोग से संबंधित मुद्दों को संभालता है।

एनएसपी पर उपलब्ध विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं तक पहुंच में सुधार के लिए छात्रों के बीच जागरूकता और पहुंच बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) खुला सत्र आयोजित करता है जिसमें एनएसपी टीम पंजीकरण, आवेदन जमा करने और सत्यापन प्रक्रियाओं पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। एनएसपी तकनीकी मुद्दों, प्रक्रिया संबंधी चुनौतियों और नीति संबंधी स्पष्टीकरणों से संबंधित प्रश्नों का सक्रिय रूप से उत्तर देता है।
